

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

एकलपीठ सिविल विविध रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या-662/2017

अन्तर्गत

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-14/2000

आदेश दिनांक

07.08.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री डी.के.दीक्षित, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

श्री शशी शेखर गौड़, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या 5

प्रार्थना पत्र संख्या-6169

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3, 5 व 11 के नये व पूर्ण पते अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों व वर्णित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3, 5 व 11 के नये व पूर्ण पते अभिलेख पर लेने का आदेश दिया जाता है।

संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जा चुका है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थना पत्र संख्या-7167

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 13 से 17 के नाम वाद शीर्षक से विलोपित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 13 से 17 औपचारिक पक्षकार है जिनकी उपस्थिति अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक नहीं है।

अपीलार्थी-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की जोखिम पर अप्रार्थी संख्या 13 से 17 का नाम वाद

शीर्षक से 'Delete' किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रार्थना पत्र इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है। संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जा चुका है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थना पत्र संख्या-7170

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 का नया नाम व पता अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 का नया नाम व पता अभिलेख लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जा चुका है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थना पत्र संख्या-7161

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी तृतीय पक्ष के हित सृजित नहीं करने व वादग्रस्त सम्पत्ति की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रत्यार्थीगण-अप्रार्थीगण को प्रतिबन्धित करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष वर्तमान प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन के स्तर पर विचारणीय नहीं है चूँकि मूल अपील पुनर्स्थापित नहीं हुई है।

प्रार्थना पत्र इसी अनुसार निरस्त किया जाता है।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)